क्रम संख्या-234(क-3)

वंजीकृत संख्या-यू०ए० / डी०एन०-30 / 2000-08 (लाइसेन्स टू पोस्ट विदाखट प्रीपेमेन्ट)



JUC.

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड **(**क) (सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 22 नवम्बर, 2007 ई० अगृहायण 01, 1929 शक सम्वत्

> उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या 3295/III(1)/07-39(अधि0)/06 देहरादून, 22 नवम्बर, 2007

अधिस्चना

सा0प0नि0-08

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विमाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007

भाग एक-सामान्य

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विमाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यात्रिक) सेवा नियमावली, 2007 है।
 - (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-सेवा की प्रास्थिति-

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कन्ष्ठि अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित राज्य सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समादि र 81

3-परिभाषाएं-

जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

- "नियुक्ति प्राधिकारी" से मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विमाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत
- "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;
- "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;
- "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है; (घ)
- "विभाग" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अभिप्रेत है; (ङ)
- "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं: (च)
- "अधीनस्थ अभियंत्रण सेवा" से कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा अभिप्रेत हैं;
- "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं;
- "सेवा" से उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियंत्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा अभिप्रेत हैं;
- ''संविधान'' से ''भारत का संविधान'' अभिप्रेत हैं;
- "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अन्सार की गई हो;
- "मर्ती का वर्ष" से किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह गास की अवधि अभिप्रेत है।

माग 2-संवर्ग

4-सेवा का संवर्ग-

- (1) सेवा में कर्मचारियों और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।
- (2) सेवा के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, संलग्न "परिशिष्ट" के अनुसार होगी।

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि-

- (एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरें हुए छोड़ सकता है अथवा राज्यपाल उसे इस प्रकार आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा
- (दो) राज्यपाल समय—समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं. जिन्हें वह उचित समझें।

माग 3-मर्ती

5-मर्ती का स्रोत-

सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों / शासनादेशों में विहित हो।

6-आरक्षण-

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, मर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

माग 4-अईताएं

7-राष्ट्रीयता-

सेवा में किसी पद पर सीघी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

- (क) भारत का नागरिक हो ; या
- (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो ; या
- (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय के पाकिस्तान, म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा), श्री लंका (पूर्ववर्ती सीलोन) या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगान्डा या यूनाईटेंड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अध्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड के पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी-ऐसे अम्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

8-शैक्षिक अर्हताएं-

अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के अधीन किनष्ठ अभियन्ता के पद पर चयन हेतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलिटेक्निक से सम्बन्धित शाखा में इंजीनियरिंग डिप्लोमा, यथा सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक होगा।

७--अधिमानी अर्हताएं - प्रतिकार किल्ला अन्य बातों के समान होने पर सीघी मर्ती के मामले में ऐसे अध्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा :जसने-

- (क) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या
- (অ) राष्ट्रीय कैंडिट कोर का 'बीo' प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो; और
- (ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो।

:6-आयु-

सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अध्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग हारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसी अन्य ोणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय:

11-चरित्र-

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन उं लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्तानित्वाचीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत अवित सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के िए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12-वैवाहिक प्रास्थिति-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा. जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह लगाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13-शारीरिक स्वस्थता-

किसी अभ्यर्थी के लिए सेवा में किसी मौलिक रिक्ति पर नियुक्ति करने से पूर्व यह आवश्यक ह कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2, माग-3 के अध्याय 3 में दिये गए मूल नियम 10 के अधीन वनाये गये नियमों के अनुसार किसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वह किसी ऐसे शारीरिक रोग से मुक्त है, जिससे उसे अपने शासकीय कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की त्तम्भावना हो।

भाग 5-मर्ती की प्रक्रिया

नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणी के पदों पर भरी जाने वाली रिक्तियों की तंख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े ा आर अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और इसकी सूचना आयोग को देगा।

: :--सीधी भर्ती की प्रक्रियां-

- (1) सेवा में मर्ती के लिए प्रार्थना—पत्र आयोग द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे और नियत प्रपत्र में दिये जायेंगे, जिसे आयोग के सचिव, से भुगतात करके प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा, जो निर्दिष्ट किया जाये।
 - (2) विभाग में पहले से सेवायोजित अभ्यर्थी अपने प्रार्थना—पत्र उचित माध्यम से नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जो उसे अपने नियत कालिक प्रतिवेदन (Periodical Report) के साथ आयोग को मेजेगा।
 - (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश—पत्र न हो।
 - (4) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् आयोग, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रीणयों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगा, जो इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर पर पहुँच सके हो। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किये गये अंकों को, लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में, जोड़ दिया जायेगा।
 - (5) आयोग, अम्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित प्ररीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अम्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उत्तनी संख्या में अभ्यर्थियों को संस्तुत करेगा, जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर—बराबर अंक प्राप्त करें, तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनिधक होगी। आयोग, सूची शासन के कार्मिक विभाग को अग्रसारित करेगा।

: 0 - शुल्क -

सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को, आयोग को प्रार्थना-पत्र तथा साक्षात्कार के लिए, ऐसे ुल्कों का भुगतान करना आवश्यक होगा, जो राज्यपाल द्वारा समय-समय पर नियत किये जायें। इन सुल्कों की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17-पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-

पदोन्नित द्वारा मर्ती के निमित्त वहीं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस निव्यावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों / शासनादेशों में विहित हो।

उन्तंयुक्त चयन सूची-

राद नर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ, सीधी मर्ती और पदोन्नित दोनों द्वारा की जाएं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिए जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नित द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग 6-नियुक्ति, ज्येष्ठता, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

19-नियुवित-

- (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे, यथा स्थिति, नियम 15, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।
- (2) यदि मर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती व पदोन्नित दोनों द्वारा की जानी हैं, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 22 नवम्बर, 2007 ईo (अग्रहायण 01, 1929 शक्. सम्वत्)

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उस ज्येष्टता क्रम में किया जायेगा, जैसी कि, यथास्थिति, चयन में आधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया जाये। यदि नियुक्तियाँ सीधी मर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जायें, तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे।

20-परिवीक्षा-

- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- (2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

- (3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों पर पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में बह अन्यथा विफल रहा है, तो उसे मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर घारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाएं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- (5) परिवीक्षा अवधि में एक माह के नौटिस पर अथवा एक माह का वेतन देने पर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
- (6) नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अविध की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमित दे सकता है।

21-स्थायीकरण-

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थाई कर दिया जायेगा, यदि—

- (क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया जाए;
- (ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और
- (ग) उसने विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो।

<u>??</u>—ज्येष्ठता-

सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

माग 7-वेतन आदि

23-वेतनमान-

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जाए। कि

and proper the second and the second

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रु० 5000-150-8000 होगा।

24-परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में, उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो, पहले से सरकार के अधीन कोई पद घारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय, तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अविध में वेतन, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों हारा विनियमित होगा।

भाग 8-अन्य उपबन्ध

25-पक्ष समर्थन-

किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न, किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास, उसे नियुक्ति के लिए अनई कर देशा।

26→अन्य विषयों का विनियमन-

रते विवयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर नामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27-सेवा शतों में शिथिलता-

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्ति किसी व्यक्ति की सेवा शतों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से, किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह यामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है:

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम को अभिमुक्त या

28-व्यावृत्ति-

इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रमाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में समय—समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट [नियम 4 (2) देखें]

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत	पदों की संख्या
**************************************	 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)		792
2.	कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)	***	81
3.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)		40
47.	कनिष्ठ अभियन्ता (यात्रिक)	*	58

आज्ञा सें,

उत्पल कुमार सिंह

सिद्य ।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3295/ III(1)/07-39 (Establishment)/06, dated November 22, 2007 for general information:

No. 3295/III(1)/07-39 (Establishment)/06

Dated Dehradun, November 22, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" and in supersession of all exisiting rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the standard Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer, Civil, Technical Electrical and Mechanical) Service:

THE UTTARAKAHAND PUBLIC WORKS DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (JUNIOR ENGINEER CIVIL, TECHNICAL, ELECTRICAL AND MECHANICAL) SERVICE RULES, 2007

PART I--General

1. Short Title and Commencent--

- (1) These Rules may be called The Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer, Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service Rules, 2007.
 - (2) They shall come into force at once.

2. Status of Service--

The Uttarakhand Public Works Department Subordinate Engineering (Junior Engineer Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service is a subordinate (Non-Gezetted) State Service comprising group "C" posts.

I. Derizitions--

In these Rules, unless there in anything repugnant in the subject or context-

- (a) "Appointing Authority" means the Chief Engineer Level-1, Public Works Department, Uttarakhand;
- (b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be calizen of India under part II of the Constitution;

- (c) "Commission" means Uttarakhand Public Service Commission;
- (d) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
- (a) "Department" means the Public Works Department, Uttarakhand;
- (f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;
- (g) "Subordinate Engineering Service" means Junior Engineer (Civil, Technical, Electrical and Mechanical) Service;
- (h) "Member of the service" means a person substantively appointed to a post in the cadre of the service under these rules or the rules in force prior to the commencement of these Rules;
- (i) "Service" means the Uttarakhand Public Works Department, Subordinate Engineering (Junior Engineer Civii, Technical, Electrical and Mechanical) Service;
- (i) "Constitution" means the Constitution of India;
- (K) "Substantive Appointment" means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection, in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and
- (I) "Year of Recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a Calendar year.

PART II--Cadre

4. Service Cadre--

- (1) The strength of the Service and each catergory of posts there in by the Government from time to time.
- (2) The strength of the service shall until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be such as per the Annexure attached: Provided that--
 - (i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation.
 - (ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper.

PART III--Recruitment

5. Source of Recruitment--

The recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made through Public Service Commission in accordance with the norms prescribed for 'Direct Recruitment' and Promotion in the rules/government orders in force just before the publication of these rules.

: Reservation-

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Fackward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV--Qualification

7. Nationality-

For a direct recruitment to a post in the Service, a candidate must be-

- (a) a citizen of India; or
- (b) a Tibetan refugee, who has come over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently setting in India; or
- (c) a person of Indian origin, who, with the intention of permanently settling in India, has migrated to India from Pakistan, Myanmar (formerly Burma), Sri lanka (formerly Ceylon) or any of the East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar).

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) above will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand;

Provided also that, if a candidate belongs to category (c) above, the certificate of eligibility shall not be issued for a period of more than one year. Such candidates shall be retained in service beyond a period of one year only if he/she obtains Indian Citizen-

Note-- Such candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him/her or issued in his/her favour.

8. Academic Qualifications--

For selection to the post of Junior Engineer under Subordinate Engineering Service, the candidate must have obtained an Engineering Diploma in the related branch; such as Civil, Technical, Electrical and Mechanical from a recognized Institute/Polytechnic.

9. Preferential Qualifications--

Other things being equal, in the matters of direct recruitment preference will be given to a candidate--

- (a) who has served in the Territorial Army for a minimun period of two year; or
- (b) who has obtained a 'B' certificate of the National Cadet Corps; and
- (c) who has successfully completed one year training as a trainee.

10. Age--

For direct recruitment to the Service, a candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised by the Commission:

Provided that the upper age limit for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories, as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

11 Character-

For direct recruitment, the character of a candidate must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point.

Note -- A person dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government, shall not be eligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12. Marital Status--

A male candidate, who has more than one wife living or a female candidate, who has married a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists a special ground for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13. Physical Fitness--

Before a candidate is appointed in a substantive vacancy in the Service, he/she is required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Handbook, Volume-II, Part-III from Chief Medical Officer to the effect that he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.

PART V-- Procedure for Recruitment

14. Determination of Vacancies-

The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission, the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6.

15. Procedure for Direct Recruitment-

- (1) The Public Service Commission shall invite applications for recruitment in the Service in the prescribed proforma which may be obtained from the Secretary of the Commission on payment and shall be submitted within such period, as may be specified.
- (2) The candidates, who are already working in the Department, shall submit their applications to the Appointing Authority through proper channel, who will forward the same to the Commissions alongwith his periodical report.
- (3) No candidate shall be permitted to appear in the examination unless he/she holds a certificate of admission, issued by the Commission.
- (4) After the result of the written examination has been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories under Rule 6, summon such number of candidates for interview as have come up to the standard fixed by the Commission in this respect. The marks awarded to each candidate in the interview, shall be added to the marks obtained by him/her in the written examination.
- (5) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their merit as disclosed by the aggregate of marks obtained in the written examination and interview and recommend such number of candidates as may be considered suitable for appointment. In case two or more candidates obtain equal marks in the aggregate, the name of the candidate obtaining more marks in the written examination, shall be placed higher in the list. The number of names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of vancancies. The Commission shall forward the list to the Personnel Department of the Government.

16. Fees--

For direct recruitment in the Service, a candidate shall be required to pay such fees for written examination and interview, as may be determined by the Governor from time to time. No claim for refund of the fees shall be entertained.

17. Procedure for Recruitment by Promotion--

Procedure for recruitment by promotion shall be the same as prescribed in the respective rules/government orders in force just before the publication of these rules.

18. Combined Selection List-

If during any year of recruitment, the appointment are made both by promotion and direct recruitment, a combined selection list shall also be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists in such a manner that the prescribed percentage is maintained the first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

Part VI--Appointment, Seniority, Probation and Confirmation

19. Appointment-

- (1) Subject to the provision of sub rule (2), the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists, prepared under Rules 15, 17 or 18 as the case may be.
- (2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one Selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion; names shall be arranged in accordance with the cyclic order referred to in Rule 18.

20. Probation --

- (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.
- (2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases, specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and, in no circumstances beyond to years.

- (3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services be dispensed with.
- (4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The Services during the period of probation may be dispensed with, by serving one month's notice or paying one months salary.
- (6) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation ---

A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of his period of probation or extended period of probation, if--

- (a) his work and conduct is reported to be satisfactory;
- (b) his integrity is certified; and
- (c) he has undergone in prescribed training.

22. Seniority--

The seniority of persons, appointed on a substantive post in the Service, shall be determined in accordance with the Uttaranchal Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

Part VII-- Pay Etc.

23. Scale of Pay-

- (1) The scales of pay, admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, shall be such as may be determined by the Government from time to time.
- (2) The Scale of pay at the time of commencement of these Rules, shall be Rs. 5000-150-8000.

24. Pay during Probation --

(1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time- scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years of service when he has completed the probationary period and has undergone training:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

The pay during propation of persons, who were already hold ment, shall be regulated by the relevant Fundamental Rul

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person, already in permanent Government Service, shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants, serving in connection with the affairs of the State.

Part VIII--Other Provisions

25. Convassing--

No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

20. Regulations of Other Matters--

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders, applicable generally to Government Sarvants, serving in connection with the affairs of the State.

27. Relaxations in the Conditions of Service--

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the Service, causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding any thing contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a fule has been framed in consultation with the Commission, that body snall be consulted before the Rule is dispensed with or relaxed:

23. Saving--

Nothing in these Rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the order, issued by the Government from time to time in this regard. THE STATE OF THE STATE OF

APPENDIX

[See Rule 4 (2)]

SI. No.	Designation	Number of the Sanctioned Post		
1	Junior Engineer (Civil)	792		
2.	Junior Engineer (Technical)	81		
3.	Junior Engineer (Electrical)	40 .		
4.	Junior Engineer (Mechanical)	58		

By Order,

UTPAL KUMAR SINGH, Secretary.

- suns 9/14 02/09/14 - 03/295

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग-1 संख्या- 1638/III(1)/14-94(अधि०)/2010 देहरादून, दिनांक ८ | असस्त, 2014

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता, सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1. समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. समस्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 4. समस्त मण्डल आयुक्त / जिलाधिकारी, उँत्तराखण्ड।
- 5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 6. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1 / मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
- 8 समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
- 9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
- 10. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की प्रति संलग्न करते हुए इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली को मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां लोक निर्माण अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2/2 (HO)

30/ Africania 1579/14 आज्ञा से, (अरविन्द सिंह ह्यांकी) अपर सचिव

नामीलप प्रमुख अभिष्मा एवं विकागारमञ्

१०६०-1569/91 व्यम् /2013 निकास थ्री/09/2014 उपरोक्त की अतिलिभि म्य तलमक निम-

निलिखिल को पुचमार्क एवं अपने अधिमान मार्गलिकों के। असारित किने जाने हतु प्रीक्ता:-

(2) HHH HON 3110 4-711 HK-1/4201 31 Promonto 2.

-ÛO Raiwar- 148

कार्यालय प्रमुखं अधियन्तः एवं विभागस्ययः

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण अनुभाग—1 संख्या— 95% ।।।(1)/14—94(अधि०)/2010 देहरादून ०/ अस्ट्स. 2014 स्नित्राग्नर् अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तराखण्ड, लोक ,निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014

संक्षिप्ह नाम और प्रारम्भ-

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (किनिष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता, सिविल, प्राविधिक, विद्युत तथा यांत्रिक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2014 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग अधीनस्थ अभियन्त्रण (कनिष्ट अभियन्ता सिविल, प्राविधिक, का संशोधन विद्युत तथा यांत्रिक) सेवा नियमावली, 2007 (जिसे यहां मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रखा

स्तम्भ-एक (वर्शमान नियम)

भर्ती का स्रोत, 5

सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों / शासनादेशों में विहित हो।

स्तम्भ-दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

भर्ती का स्रोत, 5

- (क) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पद्मों पर भर्ती उसी मानक के अनुसार 'सीधी भर्ती' तथा 'पदोन्नति' द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जायेगी, जो कि इस नियमावली के प्रख्यापन से ठीक पूर्व संगत नियमों / शासनादेशों में विहित हो।
- (ख) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ अभियन्ताओं (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) • में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस

रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुऐ ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नित कनिष्ठ अभियन्ता के कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष 85 प्रतिशत की सीमा तक ही की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नित के फलस्वरूप ्निष्ठ अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता के कर्तव्य एवं दायित्व समान होंगे तथा एक ही जाँब चार्ट के अधीन होंगे।

नियम-17 मूल नियमायली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम, 17 के स्थान पर स्तम्भ-2 में का संशोधन दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-

स्तम्भ-एक (वर्तमान नियम)

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, 17

पदोन्नित द्वारा भर्ती के निमित्त वहीं प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों/शासनादेशों में विहित हो।

स्तम्भ-दो (एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया, 17

- (क) पदोन्नित द्वारा भर्ती के निमित्त वहीं प्रक्रिया आपनायी जायेगी जो सेवा विशेष के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रख्यापन के ठीक पूर्व प्रचलित नियमों/शासनादेशों में विहित हो।
- (ख) <u>अपर सहायक अभियन्ता (सिविल, प्राविधिक, विद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया</u>—
- (1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या उत्तराखण्ड राज्य के लिए आरक्षित श्रेणियों की रिक्तियों की संख्या सहित अवधारित करेगा।
- (2) अपर सहायक अभियन्ता के पद पर-भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर निम्नवत् गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:—
- (क) विभागाध्यक्ष-

अध्यक्ष

(ख) विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, किन्तु अधीक्षण अभियन्ता के न्यून न हो—

सदस्य

(ग) विभागाध्यक्ष कार्यालय में कार्यरत स्टाफ आफिसर अथवा समकक्ष अधिकारी-

सदस

नोट:--उक्त चयन समिति में अध्यक्ष अथवा सदस्य में से यदि कोई भी अनुसूचित जाति/ जनजाति श्रेणी का अधिकारी न हो तो उक्त श्रेणी के किसी अधिकारी को अध्यक्ष द्वार चयन समिति में नामित किया जायेगा।

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम, 23 के स्थीन पर स्तम्भ-2 में का संशोधन दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात-

स्तम्भ-एक (वर्तमान नियम)

वेतनमान, 23

(किनिष्ठ अभियन्ता)—

- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा. जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रू० 5000-150-8000 होगा।

स्तम्भ-दो (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

वेतनमान, 23

(कनिष्ठ अभियन्ता)-

- (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वार समय-समय पर निर्धारित किया जाए।
- (2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रू० 5000-150-8000 (पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन वैण्ड-2 रू० ९३००-३४८०० ग्रेड-पे रू० ४६००) होगा।

अपर सहायक अभियन्ता—

अपर सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्त व्यक्तियों का वेतनमान रू० ९३००—३४८००+ग्रेड-पे रू० ४८०० होगा।

आज्ञा सं

(डार्व एस०एस० सन्धु) प्रमुख सचिव